



Zonal Safety Circular No.- 07/2021

A. "वैगन के दरवाजों को उचित तरीके से बंद होने" की जांच के लिए दिशानिर्देश

Guide lines for checking " Proper closing of wagon doors"

1. अनलोडिंग के बाद और यार्ड, सिक लाइन और डिपो से जांच के बाद साइडिंग / गुड्स शेड से खुले दरवाजे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
Open doors should not be allowed from sidings/Goods sheds after unloading and after examination from yards, sick lines and Depots.
2. लॉकिंग बोल्ट के साथ डोर ग्रेविटी कैच को गिराकर दरवाजों को ठीक से बंद किया जाना चाहिए।
Doors should be locked properly by dropping the door gravity catches with locking bolts.
3. टूटे हुए डोर हिंज, डोर हिंज पिन की कमी, टूटे हुए डोर हिंज फुट और खराब/क्षतिग्रस्त डोर मीडिएटर वाले वैगनों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
Broken door hinges, missing of door hinge pins, broken door hinge foots and corroded/damaged door mediators should not be allowed.
4. मुड़े हुए दरवाजे, क्षतिग्रस्त दरवाजे, आधे खुले दरवाजे और अपर्याप्त सुरक्षित दरवाजे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
Bent doors, damaged doors, half opened doors and improper secured doors should not be allowed.
5. बीसीएनएचएल वैगनों में क्षतिग्रस्त डबल डोर (फ्लैप दरवाजे) और क्षतिग्रस्त/अकार्यशील हिंज को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
Damaged double doors (Flap doors) and damaged/worked out hinges should not be allowed in BCNHL.
6. बीसीएनएचएल प्रकार के वैगनों में स्लाइडिंग दरवाजों के रोलर्स और डोर स्टॉपर्स के उचित कार्यशीलता सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
In case of sliding doors in BCNHL wagons, proper working of rollers and doors stoppers must be ensured.

B. खुले प्रकार के वैगनों में तिरपाल की उचितकई तरीके से बंधे होने की जांच हेतु दिशानिर्देश

Guide lines for checking "Proper securing of tarpaulin in Open wagons"

1. तिरपाल तार रस्सियों को तिरपाल क्लैट से बांधना चाहिए और सीबीसी ऑपरेटिंग रॉड, बोगी साइड फ्रेम और डोर रेस्टर से नहीं बांधना चाहिए।
Tarpaulin wire ropes should be tied with tarpaulin cleats and should not be tied with CBC operating rods, Bogie side frames and door resters.
2. आधा ढका हुआ और असुरक्षित तरीके से ढका हुआ तिरपाल अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
Half covered and improper covered tarpaulin should not be allowed.

3. तिरपाल तार की रस्सियों को तिरपाल क्लैट को छोड़कर बोगी और शरीर के किसी अन्य घटक से नहीं बांधना चाहिए।
Tarpaulin wire ropes should not be tied with any other components of bogie and body except tarpaulin cleats.
4. परीक्षा यार्ड, सिक लाइन, डिपो में जांच के दौरान वैगन मैनुअल के अनुसार पर्याप्त संख्या में तिरपाल क्लैट की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
Examination yards, sick lines ,depots should ensure availability of tarpaulin cleats during examination in sufficient numbers as per wagon manual.


Principal Chief Safety Officer
S.E.C Railway/BSP

Circulation to:

1. PCME ,PCOM & PCCM for kind information.
2. DRM/BSP, R & NAG for information and necessary action.
3. Sr.DME, Sr. DOM & Sr. DCM /BSP, R & NAG for necessary action.
4. Sr.DSO/BSP, R & NAG for information and necessary action.
5. Principal MDZTI/BSP for information and counselling to trainees.